न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट गोलाकाबास)

वाद संख्या :— 02 / 290 / 2015

रामजीलाल बनाम दूल्या वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 24.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट गोलाकाबास पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 26.06.2006 को आराजी विवादित खसरा संख्या 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 / 199 किता 10 रकबा 1.64 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 28.07.2006 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें रहन बय द्वारा मुन्तकिल न करें व मौके की स्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2006 से प्रभावी चल रहा है जिसे करीब 12 वर्ष का समय हो गया है इसलिए इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 26.06.2006 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित खसरा संख्या 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 / 199 किता 10 रकबा 1.64 हैक्टेयर वाके ग्राम टोडी का बास तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 26.06.2006 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट गोलाकाबास)